उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

संख्या :: **357/23/E-01/DR/PCS/2023-24** दिनाँक :: 11 मार्च, 2025

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कि विज्ञापन संख्या–A-2/E-1/PCS/2023-24, दिनाँक 14 मार्च, 2024 के सापेक्ष उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति)–2024 दिनांक 02 से 05 फरवरी, 2025 तक उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में सम्पन्न हुई थी। उक्त परीक्षा के अन्तर्गत दिनांक 03 फरवरी, 2025 को प्रथम सत्र में सम्पन्न तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन–I (भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज) के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे जाने के संबंध में आयोग कार्यालय को प्रत्यावेदन प्राप्त हुये है, जिनके संबंध में विषय विशेषज्ञों की आख्या प्राप्त की गयी है।

02. उक्त प्रश्न–पत्र के संबंध में पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे जाने एवं विषय विशेषज्ञों की आख्या पर मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 03 फरवरी, 2025 को प्रथम सत्र में सम्पन्न केवल तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन–I (भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज) को निरस्त किया जाता है। उक्त परीक्षा पुनः दिनांक 14 मई, 2025 (गुरूवार) को निम्न कार्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगीः–

परीक्षा तिथि / दिवस	समय	सत्र / समय अवधि	प्रश्नपत्र	विषय / कोड
14.05.2025 (बुधवार)	पूर्वाह्न 10:00–01:00 बजे	एकल / 03 घण्टे	तृतीय	**सामान्य अध्ययन–I** (भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज) **General Studies-I** (Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society) **(93)**

02. उक्त परीक्षा के लिए औपबन्धिक रुप से अर्ह अभ्यर्थी अपना **प्रवेश–पत्र (Admit-Card) दिनांक 30 अप्रैल, 2025 (बुधवार)** से आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** अथवा **ukpsc.net.in** से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से प्रवेश–पत्र (Admit-Card) प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। **परीक्षा केन्द्र परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।**

03. प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं श्रुतलेखक लाने का दावा करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी में से 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट–4(1) एवं परिशिष्ट–4(2) तथा श्रुतलेखक की दो आवक्ष (पासपोर्ट

साइज़) फोटो, श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक–तालिका एवं प्रमाण–पत्र, श्रुतलेखक के आधार–कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है।

04. प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं श्रुतलेखक लाने का दावा करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी में से 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट–5(1) एवं परिशिष्ट–5(2) तथा श्रुतलेखक की दो आवक्ष (पासपोर्ट साइज़) फोटो, श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक–तालिका एवं प्रमाण–पत्र, श्रुतलेखक के आधार–कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है।

05. प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अपने ऑनलाईन आवेदन में **आयोग से श्रुतलेखक** उपलब्ध कराने का विकल्प चयनित करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को विज्ञापन के परिशिष्ट–4(1) (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता हेतु) अथवा परिशिष्ट–5(1) (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता हेतु) पर नियत प्रारूप पर प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से 02 दिन पूर्व अर्थात **दिनांक 09 मई, 2025 (शुक्रवार)** को लोक सेवा आयोग, हरिद्वार कार्यालय में उपस्थित होकर श्रुतलेखक से मिल सकते हैं।

06. दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त परिशिष्ट आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in एवं विज्ञापन के साथ संलग्न परिशिष्ट से डाउनलोड कर सकते हैं।

07. प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक लाने का दावा करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी को बिन्दु सं0 03, 04 एवं 05 में वांछित अभिलेख **दिनांक 05 मई, 2025 (सोमवार)** तक आयोग कार्यालय में डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, पिन–249404** को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

आयोग द्वारा निर्धारित उक्त तिथि तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आयोग द्वारा श्रुतलेखक अनुमन्य किया जाएगा। **ई–मेल के माध्यम से उक्त अभिलेख/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा श्रुतलेखक अनुमन्य नहीं किया जाएगा।**

08. आयोग द्वारा नियत अंतिम तिथि 05 मई, 2025 (सोमवार) के पश्चात श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

09. प्रश्नगत परीक्षा पुनः दिनांक 14 मई, 2025 (गुरूवार) को हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केन्द्रों के संबंध में सूचना प्रवेश–पत्र के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।